

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +3605
सोमवार, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन 1941 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

विभिन्न प्रकार के पर्यटनों को बढ़ावा देना

+3605. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद राव:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में विभिन्न प्रकार के पर्यटन अर्थात् स्वास्थ्य पर्यटन, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, विरासत पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बना रही है;
- (ख) क्या भारत को एक अत्यंत आकर्षक अपरिहार्य पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने हेतु भारत के पर्यटन उद्योग के पास आक्रामक ऑनलाइन और अन्य विपणन रणनीतियों की कमी है; और
- (ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की कार्य योजना क्या है?

उत्तर

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग) : पर्यटन मंत्रालय आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन एवं प्रचार (डीपीपीएच) और बाजार विकास सहायता सहित विदेशों में संवर्धन और प्रचार (ओपीएमडी) नामक अपनी योजनाओं के माध्यम से घरेलू तथा अंतरराष्ट्रीय बाजारों में संवर्धनात्मक कार्यकलाप करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत पर्यटन मंत्रालय अतुल्य भारत ब्रांड लाइन के तहत एक संपूर्ण गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करता है। देश के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और स्वास्थ्य पर्यटन, एडवेंचर पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, विरासत पर्यटन और वन्यजीवन पर्यटन सहित पर्यटन के विभिन्न प्रकारों के संवर्धन के लिए चल रहे अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में यह मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय तथा घरेलू बाजारों में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन तथा आउटडोर मीडिया अभियान जारी करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने चिकित्सा तथा निरोगता पर्यटन को निश पर्यटन उत्पादों के रूप में अभिज्ञात किया है और यह प्राथमिकता प्राप्त गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन के साथ-साथ देश में चिकित्सा पर्यटकों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुविधाओं की

पेशकश करता है। आयुर्वेद तथा अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणालियों जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) शामिल है सहित चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक विशिष्ट संस्थागत कार्यढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चिकित्सा एवं निरोगता पर्यटन बोर्ड का गठन किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्षपर्यंत गंतव्य के रूप में भारत के संवर्धन और विशिष्ट अभिरुचि वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एडवेंचर पर्यटन को आला (निश) पर्यटन उत्पाद के रूप में मान्यता प्रदान की है। मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के अनुमोदन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो सभी अधिप्रमाणित एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स के लिए खुली है। देश में एडवेंचर पर्यटन के विकास और संवर्धन से संबंधित मुद्दों के निपटान हेतु एक मंच के रूप में कार्य करने के लिए एडवेंचर पर्यटन संबंधी एक कार्यबल का गठन किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने भारत में एडवेंचर पर्यटन संबंधी सुरक्षा एवं गुणवत्ता मानदंडों के संबंध में इंडियन एडवेंचर टूरिज्म गाइडलाइंस (वर्जन 2.0) तैयार किए हैं। इन दिशानिर्देशों में एडवेंचर पर्यटन से संबंधित मूलभूत न्यूनतम मानक सूचीबद्ध हैं और इनमें 31 जमीनी, हवाई तथा जल आधारित कार्यकलापों को शामिल किया गया है। सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को इन दिशा-निर्देशों को अनुपालन हेतु प्रेषित किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए स्वदेश दर्शन, प्रशाद एवं केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता नामक अपनी योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों /केन्द्रीय एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना और उसी स्वीकृति दिया जाना एक सतत् प्रक्रिया है। इन योजनाओं के तहत परियोजनाओं की पहचान सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा की जाती है और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के परामर्श से विकास हेतु उनपर विचार किया जाता है और निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की प्रस्तुति, योजना दिशा-निर्देशों के अनुपालन और पूर्व में जारी निधियों की उपयोगिता की शर्त पर उन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती है।

देश में थीम आधारित पर्यटक परिपथों के एकीकृत विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने देश में थीम आधारित पर्यटक परिपथों के विकास के लक्ष्य से वर्ष 2014-15 में स्वदेश दर्शन योजना लॉन्च की है। जनवरी 2015 में इस योजना के आरंभ से लेकर अभी तक मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत थीमेटिक परिपथ को कवर करते हुए 30 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में 6035.70 करोड़ रुपए की राशि से 77 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के अन्तर्गत वन्यजीव थीम परिपथ के तहत निम्नलिखित दो परियोजनाओं को स्वीकृति दी है: (i) 2015-16 में मध्य प्रदेश में पन्ना-मुकुन्दपुर- संजय- दुबरी- बांधवगढ़-कान्हा – मुक्की –पेंच में वन्यजीव परिपथ का विकास और (ii) 2015-16 में असम में वन्यजीव परिपथ के रूप में मानस- प्रोबितोरा-नामेरी-काजीरंगा-डिब्रू-सेखोवा का विकास

जनवरी 2015 में इस योजना की शुरुआत के बाद वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान मंत्रालय ने 889.54 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से 18 राज्यों में प्रशाद योजना के अंतर्गत 29 परियोजनाओं को स्वीकृति दी है।

पर्यटन मंत्रालय संगत दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को मेलों और महोत्सव के आयोजन हेतु केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2014-15 से 2019-20 के बीच इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को 149 मेलों और महोत्सव के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।
